राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

केसरीदेवी / प्रभाती देवी

109/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.11.17	पत्रावली पेशी से गिरवर दाज प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 02.11.17 को पेश हो।	
02.11.17	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र हेतु रेस्पो. द्वारा समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.17 को पेश हो।	
03/11/17	प्रति. अपी. [illegible] उपस्थित पूर्व आदेश [illegible] मिसल दिनांक 06/11/17 को पेश हो।	
06.11.17	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.11.17 को पेश हो।	
13/11/17	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता प्रार्थी / रेस्पोन्डेन्ट ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति के तथ्यों को दोहराते हुये बहस में मुख्यत: निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन तीन पत्रावलीयों का निस्तारण अपने एक ही अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से किया है, जिससे अगर इस अपील के अपीलार्थीगण व्यथित थे तो उन्हे कानूनी रूप से तीन अलग-अलग अपीले ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिये थी, किन्तु	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

केसरीदेवी / प्रभातीदेवी

तारीख हुक्म	109/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तीनो मुकदमो के इकजाई पारित निर्णय के विरुद्ध अपील के सब्जेक्ट मेटर मे तीनो मुकदमो का हवाला देकर एक ही मोजूदा अपील प्रस्तुत की है जो विधि के सुस्थापित सिद्धांतो की अनुपालना मे चलने योग्य ही नही है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपने कथन के समर्थन मे 2017(4) WLC (Raj.) 263 उद्धरित करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीन मुकदमो मे इकजाई निर्णय पारित किये जाने पर व्यथित पक्षकार को उनकी भिन्न-भिन्न अपीले प्रस्तुत करना कानूनन आवश्यक है एकल अपील पोषणीय नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी/अपीलार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति के तथ्यो को दोहराते हुये अपनी बहस मे मुख्य रूप से निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18/10/2015 मे तीनो पत्रावलीयो का नम्बर डालते हुये आदेश इकजाई रूप से पारित किया गया है। तीनो प्रकरण एक ही थे जिससे उनका निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही आदेश के माध्यम से किया है जिसके सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट भगवानचन्द द्वारा कोई आपत्ति तत्समय नही उठाई गई की तीनो मुकदमो का भिन्न-भिन्न निर्णय पारित हो। चूंकी माननीय विचारण न्यायालय ने तीनो आवेदनो को एक ही मानते हुये एक साथ निर्णय पारित किया है अतः अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील सही रूप से पेश की गई है। अतः प्रार्थी/रेस्पो. का प्र.पत्र प्रारम्भिक आपत्ति खारिज किया जावे। अपील का गुणावगुण पर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

केसरीदेवी | प्रभातीदेवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
109/2017		

निस्तारण किया जावे।

हमने अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन पृथक-पृथक प्रकरण पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये। चूंकी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण समान प्रकृति के थे अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तीनो मुकदमो को इकजाई (Consolidate) कर एक ही आदेश पारित किया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन पृथक-पृथक प्रकरण प्रस्तुत हुये थे, जिनका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यद्यपि एक ही आदेश से निस्तारण किया गया है किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर) द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 2017(4) WLC (Raj.) 263 के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक प्रकरण की पृथक-पृथक अपील प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर चूंकी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तीनो मुकदमो के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जो त्रुटीपूर्ण होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)